राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/21	उमलेश कंवर / रघुवीर सिंह 526/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07/12/2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी पी सी सलग्न पत्रावली किया गया | रेस्पो. संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द जांगिड ने वकालतनामा पेश किया | अधिवक्ता उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र 151 सी पी सी पर सुना गया | अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि अन्तरिम आदेश जैर अपील अपीलार्थी को सुने बगैर पारित किया गया है जिससे अपीलार्थी अपनी खाते की आराजीयात का स्वतंत्र रूप से उपयोग-उपभोग नही कर पा रहा है एवं अपनी आराजीयात को उन्नत बनाने के लिए साधनों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कुछ आराजी का रहन/बैचान नही कर पा रहा है | अधिवक्ता अपीलार्थी ने आगे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश जैर अपील दिनांक 13/12/2018 पारित करने के पश्चात प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दीवानी पर पक्षकारान की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 22/10/2019 को विरासत का नामान्तकरण एवं के सी सी रिन्यु कराने की हद तक स्थगन आदेश जैर अपील दिनांक 13/12/2018 अपास्त कर दिया गया था किन्तु पटवारी हल्का द्वारा पुन: जमाबन्दी में स्थगन आदेश दिनांक 13/12/2018 का नोट लगा दिया गया जो अविधिक है जो दुरुस्त फरमाने का आदेश दिया जाकर अन्तरिम आदेश जैर अपील दिनांक 13/12/2018 की क्रियान्विति स्थगित रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाही गयी ईस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें प्रदान की गयी है फिर भी उन्हें कोई उज्र हो तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना उज्र प्रकट करने का उन्हें अवसर मौजूद है अत: अन्तरिम आदेश के विरुद्द अपील इस न्यायालय के समक्ष संधारणीय नही होने से ख़ारिज की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 151 सी पी सी के माध्यम से एवं दौराने बहस यह तथ्य उद्दरित किया है कि वे अपनी कृषि आराजीयात को उन्नत बनाने के लिए रुपयों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपनी आराजी के कुछ हिस्से को रहन/बैचान नही कर पा रहा है इस सन्दर्भ में आदेश जैर अपील दिनांक 13/12/2018 का अवलोकन किया गया जिसके माध्यम से सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मात्र के आदेश दिये गये है, जिससे विवादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भूमि में अपीलार्थी द्वारा अपने खाते की कुछ आराजीयात के रहन/बैचान के लिए अपीलार्थी स्वतंत्र रहते है जिससे उनकी यह आपत्ति निराधार प्रतीत होती है | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी प्रार्थना पत्र धारा 151 सी पी सी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 22/10/2019 के द्वारा विरासत के नामान्तकरण एवं के सी सी रिन्यु की हद तक अन्तरिम आदेश जैर अपील दिनांक 13/12/2018 अपास्त किया जा चुका है एवं इस सन्दर्भ में अन्तरिम आदेश जैर अपील के सन्दर्भ में उनकी मुख्य आपत्ति यही है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22/10/2019 के पश्चात भी पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के मूल अन्तरिम आदेश दिनांक 13/12/2018 को नोट राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22/10/2019 के मार्फत दी गयी रियायत का लाभ उन्हें प्राप्त नही हो पा रहा है | इस सन्दर्भ में प्रार्थी/अपीलान्ट के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके आदेश दिनांक 22/10/2019 की पालना करवाये जाने का अनुतोष चाहे जाने अन्यथा सम्बन्धित तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र मय अधीनस्थ न्यायालय के आदेशो की प्रति प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कराने का अवसर एवं विधिक अधिकार है किन्तु उक्त दुरुस्ती के लिये मूल अन्तरिम आदेश को चुनौती देते हुये यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित नही है एवं ऐसी अपील इस न्यायालय के समक्ष संधारणीय ही नही रहती है | अत: अपील इसी स्तर पर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 20/12/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर